रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-407/22-2-2014-17(141)/2005

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2015

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्वदोष **बन्दी सुरेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-40628) पुत्र श्री गुरूमुख सिंह निवासी ग्राम-गदैरिया, थाना-विलासपुर, जिला-रामपुर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-102/1975** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34** के अधीन **दिनांक 19-12-1975** को मा0 सत्र न्यायाधीश रामपुर द्वारा दोष मुक्त किया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-885/1976 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **दिनांक 22-05-1986** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी, **रामपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव।

संख्या-407(1)/22-2-2014 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
3-पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in